सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-4951/MP/3/2025-RU-I **दिनांक: 28.05.2025**

श्री सुरेश कुमार,
कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-पन्ना,
नवीन संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन,
अजयगढ़ रोड, इंद्रपुरी कॉलोनी,
पन्ना, म.प्र. – 488001
ई-मेल: dmpanna@nic.in

श्री साईं कृष्ण एस थोटा,
पुलिस अधीक्षक,
जिला- पन्ना,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
पन्ना, म.प्र. – 488001
ई-मेल: spopan-mp@nic.in

श्रीमती अंजना सुचिता तिर्की
वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,
कार्यालय पन्ना टाइगर रिजर्व,
पन्ना,मध्य प्रदेश- 488001
ई-मेल: fdpnp.pna@mp.gov.in

विषय: उमरावन ग्राम सभा की दो आदिवासी गोंड वन आश्रित महिलाओं के साथ वन विभाग द्वारा किए गए कथित अत्याचार, अन्याय और उनके अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में ग्राम सभा-उमरावन वासियों का दिनांक 02.04.2025 का संयुक्त अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 16.05.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में **दिनांक 18.06.2025 को दोपहर पश्चात** सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(R.K. Dubey/आर. के. दुबे)
Deputy Director/उप-निदेशक
E-Mail: rk.dubey@ncst.nic.in
Tel: No. 011-20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

सरपंच,
ग्राम सभा व ग्राम-उमरावन
ग्राम पंचायत-बदौर,
जिला- पन्ना, मध्य प्रदेश
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।